न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ राजेश गोयल, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 132 / 2023

GCMS No. : 2023/272

प्रार्थीः– **बनाम** **अप्रार्थीगण :–**

मनोज कुमार सिन्हा खाद्य सुरक्षा अधिकारी उत्तर पश्चिम रेल्वे अजमेर मण्डल

1. श्री कन्हैयालाल पुत्र श्री भैराराम वेडर(खाद्य कारोबार कर्ता) Refreshment stall, PF no-2/3 M/s Manoj Adwani Railway Station Marwar Jn-306001 (स्थाई पत्ता-1653 new ambedkar colony, near to railway carriage, Marwar Jn dist Pali)
2. Manoj Adwani s/o Atamaram Properitor Refreshment stall M/s Manoj Adwani PF no 2/3 Railway Station Marwar Jn-306001 (पत्राचार पता श्री बंशीलाल गोकलानी पुत्र बच्चुमलजी गोकलानी कॉपरेटिव बैक के पीछे, सिंधी बाजार मारवाड जंक्शन) स्थाई पत्ता- 306 venkatesh puram gali no 11 kondwa road pune hadaspar pune PMC & Rural Maharashtra 411048)
3. Refreshment stall M/s Manoj Adwani PF no 2/3 Railway Station Marwar Jn-306001
4. Mahadev agency Hospital road, aspatal road marwar jn dist pali 306001
5. shri Himmta ram jat s/o kuna ram 470 hospital road, bhatao ka vass, marwar jn dist pali 306021 (स्थाई पत्ता- jain mandir ke pass, janunda pali 306021)
6. Swastik Food and Beverages vera sadava, janunda village marwar dist pali 306021
7. Rajender singh s/o Svaroop ram, Swastik Food and Beverages, vera sadava janunda village marwar dist pali 306021 (स्थाई पत्ता- jain mandir ke pass, janunda pali 306021)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 एवं धारा 52

उपस्थित :–

1. अधिवक्ता अप्रार्थीगण श्री भुण्डाराम चौधरी उपस्थित।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

–: निर्णय :–

दिनांक : 22.7.2024

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वक्त बहस प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनुपस्थित होने से अधिवक्ता अप्रार्थीगण की बहस सुनी गई।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर पदस्थापित है तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण भारत सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसुचना फाईल नम्बर 1(42) 2011/रेल्वे/एफ.एस.एस.ए. आई (पार्ट–I) रेल्वे एफएसएसएआई दिनांक 01.12.2015 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है और उत्तर पश्चिम रेल्वे के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षैत्र उनके कार्यक्षेत्र में आते है। प्रार्थी दिनांक 19.11.2022 को दौराने गश्त अप्रार्थी की फर्म Refreshment stall M/s Manoj Adwani Railway Station PF no 2/3 Marwar Jn 306001 पहुंचा। जहा पर कन्हैयालाल यात्रियों को खाद्य पदार्थ बेच रहा था। जिसे अपना परिचय देकर परिचय पत्र दिखाया। स्टॉल का निरीक्षण करने पर पाया कि स्टॉल में Packaged Drinking water Health plus B no HP 30 Quality 1 liter (original sealed and packed ny company in a per bottle) रखा पाया जिसे कन्हैयालाल यात्रियों को बेच रहा था। जिसमें मिलावट का सन्देह होने पर सरकारी जांच हेतु Packaged Drinking water Health plus B no HP 30 Quality 1 liter (original sealed and packed ny company in a per bottle) का नमुना लेने कि इच्छा जाहिर कि जिसके लिए दो प्रतियों में प्रपत्र 5 ए भरकर स्वतत्रं गवाह की तलाश की किन्तु कोई गवाह मौजुद नही होने से साथ आये मनोजसिंह पुत्र श्री मांगीलाल समान्य सहायक अधीनस्थ खाद्य संरक्षा अधिकारी अजमेर को गवाह बना कर हस्ताक्षर करवाये, जिसकी एक प्रति पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवा कर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी को बता दिया कि Packaged Drinking water Health plus B no HP 30 Quality 1 liter (original sealed and packed ny company in a per bottle) का नमुना वास्ते एफएसएसए एक्ट के तहत जाचं हेतु ले रहा हुं। प्रार्थी ने गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में 16 बोतल Packaged Drinking water Health plus B no HP 30 Quality 1 liter (original sealed and packed ny company in a per bottel) वास्ते जांच हेतु क्रय कर उसकी कीमत 240/– रूपये नकद कन्हैयालाल को देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर कन्हैयालाल गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। स्टॉल से खरीदशुदा Packaged Drinking water Health plus B no HP 30 Quality 1 liter (original sealed and packed ny company in a per bottle) नियमानुसार पैक कर गवाहान एवं कन्हैयालाल

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

की उपस्थित में चार लेबल तैयार किये, जिस पर कन्हैयालाल गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं डी.ओ. का कोड एवं सिरियल नम्बर एनडब्ल्युआर–997 लिखा एंव नमुना विवरण अंकित किया गया। चारों नमुनो को नियमानुसार सिलबंद कर अपने जाब्ते में लिया एंव मौके पर समस्त कार्यवाही कर मौका फर्द तैयार कि एवं कन्हैयालाल व गवाहान को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होने स्वयं ने भी पढ़कर सुनकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंच कर फार्म–6 की प्रतिया तैयार की तथा प्रत्येक पर नमुना सील लगाई, नमुना पैकेट मय फार्म नम्बर 6 की प्रति सीलमुहर करके नमुने को विनोद कुमार पुत्र सन्नुलाल समान्य सहायक अधीनस्थ खाद्य सुरक्षा अधिकारी उ0 रेल्वे अजमेर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। कन्हैयालाल ने उक्त नमुने के संबध में अग्रिम खरीद व संबधित सप्लायर निर्माता आदि के संबध में प्राप्त बिल केश मेमो एवं अन्य दस्तावेज पेश किय। कन्हैयालाल की दुकान से लिया गया नमुना संख्या एनडब्ल्युआर–997 के संबध में खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या एलएस/1986/एक्ट/2022/1986 दिनांक 25.11.2022 के अनुसार Misbranded (मिथ्याछाप) पाया गया, जिसकी सुचना अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा दी गई। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा Misbranded (मिथ्याछाप) Packaged Drinking water Health plus B no HP 30 Quality 1 liter (original sealed and packed ny company in a per bottel) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थीगण पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 01 की फर्म से लिया गया Packaged Drinking water Health plus B no HP 30 Quality 1 liter (original sealed and packed ny company in a per bottle) के लेबलिंग प्रिन्टिंग में गलती हो गयी है जिसे बाद में सुधार कर दिया गया है वर्तमान में उक्त पेय के लेबलिंग में किसी प्रकार का दोष नही है, इसके अलावा अप्रार्थी की फर्म से लिया गया पेय पदार्थ की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त नमुना से आम जन के स्वास्थ्य पर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं पडता है, अतः अप्रार्थीगण के लिए नम्रता का रूख अपनाते हुए कम से कम शास्ति आरोपित कर प्रकरण में निर्णय पारित करावें।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध फार्म नम्बर 5ए अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 19.11.2022 को अप्रार्थी संख्या 01 की फर्म से मिलावट का सन्देह होने की स्थिति में Packaged Drinking water Health plus B no HP 30

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

Quality 1 liter (original sealed and packed ny company in a per bottel) का नमुना वास्ते जांच हेतु क्रय किया जाकर नियमानुसार उत्पाद पर नमूना कोड एवं क्रम संख्या एनडब्ल्युआर 997 अंकित कर सीलबन्द किया गया। पत्रावली में सलंग्न प्रपत्र संख्या 5ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रपत्र 5ए में नमुने के संबध में समस्त जानकारी यथा कोड नम्बर, नमुने का विवरण, अप्रार्थी का नाम, प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं गवाह के हस्ताक्षर किये हुए है। उक्त समस्त कार्यवाही खाद्य सुरक्षा अधिनियमों के प्रावधानों के तहत की गई है। अप्रार्थी की फर्म से वास्ते जांच लिये गये Packaged Drinking water Health plus B no HP 30 Quality 1 liter (original sealed and packed ny company in a per bottle) का नमुना कोड संख्या एनडब्ल्युआर 997 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। जहां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी की फर्म से लिया गया Packaged Drinking water Health plus B no HP 30 Quality 1 liter (original sealed and packed ny company in a per bottle) का नमुना मिथ्याछाप स्तर (Misbranded Food) under Section 3(1)(zf)(C) (i) as per Food Safety and Standards Act 2006 पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सम्पुर्ण कार्यवाही खाद्य सुरक्षा अधिनियमों के तहत की गयी है। खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाला जोधपुर की रिपोर्ट के अनुसार Packaged Drinking water Health plus B no HP 30 Quality 1 liter (original sealed and packed ny company in a per bottle) पर एक्सपाईरी डैट लिखा नही पाया गया है जो खाद्य सुरक्षा और मानक (पैकेजिग और लेबलिंग) विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) का उल्लघन पाया गया, जिसका अप्रार्थी द्वारा उत्पादन एवं विक्रय/विनिमयन करना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) के प्रावधानों का उल्लघंन है तथा धारा 52 के तहत शास्ति योग्य हैं।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा मिथ्याछाप (Misbranded) Packaged Drinking water Health plus B no HP 30 Quality 1 liter (original sealed and packed ny company in a per bottle) का उत्पादन/विक्रय/विनियमन करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत अप्रार्थी संख्या 01 पर 5,000/– अक्षरे पांच हजार रूपये, अप्रार्थी संख्या 02 व 03 पर 5,000/– अक्षरे पांच हजार रूपये, अप्रार्थी संख्या 04 व 05 पर 10,000/– अक्षरे दस हजार रूपये एवं अप्रार्थी संख्या 06 व 07 पर 15,000/– अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये कुल 35,000/– अक्षरे पैंतीस हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थीगण को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

अनुज्ञापत्र शुल्क आदि'' में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)

(डॉ राजेश गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली

निर्णय आज दिनांक 22/7/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ राजेश गोयल)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली